रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 516] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2015/श्रावण 28, 1937
No. 516] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2015/SRAVANA 28, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 643(अ).–केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षानुसार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 405(अ) तारीख 19 मई, 2015 द्वारा प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 19 मई, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (तेरहवां संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115 में, -

(क) उपनियम (14) में खंड (छ) में, उपखंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(iv) इस उपनियम के उपबंध 1 अक्तूबर, 2015 से ही विनिर्मित चार पहिया यानों को जम्मू और कश्मीर (लेह और कारगिल जिलों को छोड़कर), पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों तथा उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ज्योतिबा फुलेनगर, रामपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, बदांयू, बरेली, मथुरा, महामायानगर, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, पीलीभीत, शामली, संभल, फरुखाबाद, कन्नौज, औरैया और कासगंज जिलों को लागू नहीं होंगे ।

(v) इस उपनियम के उपबंध 1 अप्रैल, 2016 से ही विनिर्मित चार पहिया यानों को गोवा, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा राज्यों और दमन और दीव, दादरा नागर हवेली तथा अंडमान और निकोबार संघ राज्यक्षेत्रों तथा महाराष्ट्र राज्य के मुंबई, ठाणे और पुणे जिलों और गुजरात राज्य के सूरत, बलसाड, डांग्स और तापी जिलों को लागू नहीं होंगे ।

(vi) इस उपनियम के उपबंध 1 अप्रैल, 2017 से ही विनिर्मित चार पहिया यानों को लागू नहीं होंगे ;" ;

(ख) उपनियम (15) में खंड (क) में तीसरे परंतु के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि पूर्वोक्त उपबंधों में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वृहत्त उत्सर्जन मानक, भारत स्तर 4 जम्मू और कश्मीर (सिवाय लेह और कारगिल जिलों के) पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों तथा उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ज्योतिबा फुलेनगर, रामपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, बदांयू, बरेली, मथुरा, महामायानगर, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, पीलीभीत, शामली, संभल, फरुखाबाद, कन्नौज, औरैया और कासगंज जिलों की बाबत 1 अक्तूबर, 2015 को विनिर्मित 4 पहिया यानों के संबंध में सिवाय चार पहिया परिवहन यानों जो अन्तर्राज्जीय अनुज्ञा पत्रों या राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्रों या अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञा पत्रों के अधीन उक्त जिलों और राज्य की अधिकारिता के भीतर प्रचालन कर रहे हैं, लागू होंगे :

परंतु यह भी कि पूर्वोक्त परंतुकों में के उपबंधों में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वृहत्त उत्सर्जन मानक, भारत स्तर 4 गोवा, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, राज्यों और दमन और दीव, दादरा नागर हवेली तथा अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्रों तथा महाराष्ट्र राज्य के मुंबई, ठाणे और पुणे जिलों और गुजरात राज्य के सूरत, बलसांड, डांग्स और तापी जिलों के संबंध में 1 अप्रैल, 2016 से ही विनिर्मित चार पहिया यानों के संबंध में सिवाय चार पहिया परिवहन यानों जो अन्तर्राज्जीय अनुज्ञा पत्रों या राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्रों या अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञा पत्रों के अधीन उक्त जिलों और राज्य की अधिकारिता के भीतर प्रचालन कर रहे हैं, लागू होंगे ;" ;

(ग) उपनियम (15) में खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(कक) खंड (क) में निर्दिष्ट परंतुकों में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भारत स्तर 4 के लिए वृहत्त उत्सर्जन मानक 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात्त विनिर्मित चार पहिया यानों के संबंध में संपूर्ण देश में लागू होंगे ;" ;

[फा. सं. आरटी-11011/05/2011-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 555(अ), तारीख 14/07/2015 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2015

G.S.R. 643(E).— Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 405 (E), dated the 19th May, 2015, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 19th May, 2015;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Thirteenth Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 115,-

(a) in sub-rule (14), in clause (G), after sub-clause (iii), the following sub-clauses shall be inserted, namely:-

"(iv) the provisions of this sub-rule in respect of four wheeler vehicles manufactured on and from the 1st October, 2015 shall not apply to the States of Jammu and Kashmir (except Districts of Leh and Kargil), Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand, and districts of Hanumangarh and Sri Ganganagar in the State of Rajasthan and in the districts of Saharanpur, Muzaffarnagar, Bijnaur, Jyotiba Phule Nagar, Rampur, Muradabad, Aligarh, Badaun, Bareilly, Mathura, Mahamayanagar, Etah, Agra, Firozabad, Etawah, Mainpuri, Pilibhit, Shamli, Sambhal, Farrukabad, Kannauj, Auriya and Kasganj in the State of Uttar Pradesh;

(v) the provisions of this sub-rule in respect of four-wheeled vehicles manufactured on and from 1st April, 2016 shall not apply to the States of Goa, Kerala, Karnataka, Telangana, Odisha and the Union territories of Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Andaman and Nicobar Islands, districts of Mumbai, Thane and Pune in the State of Maharashtra and districts of Surat, Valsad, Dangs and Tapi in the State of Gujarat;

(vi) the provisions of this sub-rule in respect of four-wheeled vehicles manufactured on and from 1st April, 2017 shall not be applicable.";

(b) in sub-rule (15), in clause (a), after the third proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided also that, without prejudice to the provisions contained in the above provisos, the Mass Emission Standards, Bharat Stage IV, shall be applicable to the States of Jammu and Kashmir (except districts of Leh and Kargil), Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand and districts of Hanumangarh and Sri Ganganagar in the State of Rajasthan and districts of Saharanpur, Muzaffarnagar, Bijnaur, Jyotiba Phule Nagar, Rampur, Moradabad, Aligarh, Badaun, Bareilly, Mathura, Mahamayanagar, Etah, Agra, Firozabad, Etawah, Mainpuri, Pilibhit, Shamli, Sambhal, Farrukabad, Kannauj, Auriya and Kasganj in the State of Uttar Pradesh in respect of four wheeled vehicles manufactured on or after the 1st October, 2015, except the four wheeled transport vehicle plying on Inter-State Permits or National Permits or All India Tourist Permits, within the jurisdiction of said district and States:

Provided also that, without prejudice to the provisions contained in the above provisos, the Mass Emission Standards, Bharat Stage IV, shall be applicable in the States of Goa, Kerala, Karnataka, Telangana, Odisha and the Union territories of Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Andaman and Nicobar Islands, districts of Mumbai, Thane and Pune in the State of Maharashtra and districts of Surat, Valsad, Dangs and Tapi in the State of Gujarat, in respect of four-wheeled vehicles manufactured on or after the 1st April, 2016, except the four wheeled transport vehicle plying

on Inter-State Permits or National Permits or All India Tourist Permits, within the jurisdiction of the said district and States;";

(c) in sub-rule (15), after clause (a), the following clause shall be inserted namely:—

" (aa) without prejudice to the provisions contained in the provisos to clause (a), the Mass Emission Standards for Bharat Stage IV shall come into force all over the country in respect of four wheeled vehicles manufactured on or after the 1st April, 2017;".

[F. No. RT-11011/05/2011-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R. 555(E) dated 14/7/15.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.